पत्रांक–सी0/कोर्ट केस (द्रि0नि0)–27/2017–2152/जे0

225

झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव –सह विधि परामर्शी,

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड,

राँची, दिनांक– 20 सितम्बर, 2017

विषय – माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

निदेशानुसार, उर्पयुक्त विषय के संबंध मे कहना है कि विधि विभाग के संज्ञान मे ऐसे कई मामले आये हैं, जिनमें माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अंतरा--न्यायालय अपील (Intra-Court Appeal) अथवा अंतर्न्यायालय अपील (Inter-Court Appeal) निर्धारित समय सीमा (Limitation) के अन्दर दायर नही किये जाने के कारण खारिज हो जाता है, जबकि प्रशासी विभाग/कार्यालय के पास अपीलीय बिंदु का मजबूत आधार होता है। इसके फलस्वरूप राज्य को आर्थिक क्षति उठाने के साथ ही अपील खारिज होने से राज्य की छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है।

2. विदित हो कि माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के लिए समय सीमा (Limitation) निर्धारित है। यह प्रावधान The Limitation Act, 1963 मे किया गया है इस प्रावधान के अनुसार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के किसी आदेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील (LPA- Later patent appeal) दायर करने हेतु 30 (तीस) दिनो की समय सीमा (Limitation) निर्धारित है तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के किसी अपीलीय आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे अपील (SLP- special leave petition) दायर करने हेतु 90 (नब्बे) दिनो की समय सीमा (Limitation) प्रावधानित है। यह समय सीमा (Limitation) आदेश निर्गत होने की तिथि से परिगणित होती है। समय सीमा (Limitation) के अन्दर अपील दायर नही करने की दशा मे विलंब को क्षांत करने निमित्त अपील (I.A- interlaculatory application) दायर करने की आवश्यकता होती है, जिसपर सुनवाई करने मे भी माननीय न्यायालय का बहुमूल्य समय खर्च होता है।

3. अतएव माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील निर्धारित समय सीमा (Limitation) के अन्दर दायर हो ताकि अपील की सुनवाई प्रशासी विभाग द्वारा गठित आधार के आलोक मे सही ढ़ग से हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ बिन्दुओं पर विचार किया गया।

4. विषयगत मामले पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्देश निर्गत किया जा रहा है–

i. माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासी विभाग/कार्यालय माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति शीघ्र प्राप्त करें।

(कृ0पृ0

224

इसकी प्रति सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से अथवा Internet से प्राप्त की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के Website पर भी Orders की Web Copy उपलब्ध रहती है। उल्लेखनीय है कि अपील दायर करने हेतु आदेश की सत्यापित प्रति अनिवार्य है।

ii. आदेश की प्रति प्राप्त होने पर प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा सम्यक् समीक्षा की जाय। समीक्षा के क्रम में संबंधित सरकारी अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया जाय। यदि प्रशासी विभाग/कार्यालय तथा संबंधित सरकारी अधिवक्ता द्वारा अभिमत गठित होता है कि माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया जाना है तो प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा संक्षिप्त टिप्पणी तैयार की जाय। इसमें माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अन्य सेवकों तथा/अथवा राज्य पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का उल्लेख हो। साथ ही अपील दायर करने हेतु आधार (Moot Points) तैयार किया जाय तथा इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

iii. प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा उक्त प्रभाव एवं आधार बिन्दु (Moot Points) के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श हेतु इनके कार्यालय से समय लिया जाय। विद्वान महाधिवक्ता परामर्श के दौरान ही प्रशासी विभाग/कार्यालय को अपना परामर्श देंगे तथा उक्त परामर्श के आलोक में संबंधित वाद में माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन अथवा अपील दायर करने संबंधी कार्रवाई प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

iv. जहाँ तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे अपील दायर करने का प्रश्न है, इस संबंध में अलग से आदेश निर्गत करने की कार्रवाई की जायगी।

5. अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकिया का पालन सुनिश्ति करने की कृपा की जाय। इस प्रकिया मे तत्परता आवश्यक है। प्रशासी विभाग/कार्यालय ऐसा तंत्र विकसित करें कि माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील निर्धारित समय सीमा (Limitation) के अन्दर दायर हो जाय।

विश्वासभाजन

20.9

(प्रवास कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

ज्ञापांक:– सी0/कोर्ट केस (दि0नि0)–27/2017–2152/जे0, राँची, दिनांक–20 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:– महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.9

(प्रवास कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।